



1. विद्यालय का विद्यार्थी निर्धारित प्रपत्र सही ढंग से पूरा करेगा।  
 2. उक्त शर्तों में बिना वाकान के पूर्वानुबंधन के कोई परिचालन/परिष्कारण/परिवर्तन नही किया जाएगा।

3. उक्त विद्यालय द्वारा भूमि उपयोग, निष्कासन संबंधी सभी नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। यदि कभी सरकार/राज्य या किसी भी भूमि पर कोई अतिरिक्त आदेश प्रकाशित होता है तो राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जाएगा।

4. उक्त समस्त प्रतिबन्धना का पालन करके प्रमाण-पत्र लेने अनिवार्य होगा और यदि कभी वाकान यह पाया जाता है कि कम्प्ले होना उक्त प्रतिबन्धना का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की ढूँढ या शिथिलता पायी जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जाएगा।

महदीय,  
 (पी०एल०साह)  
 उप सचिव।

प्रमाण-पत्र संख्या: 3/10/01/11/2010 महदीय

- 1. प्रतिनिधि: निम्नलिखित को सूचक एवं अग्रसारक के रूप में हेतु प्रेषित:-
- 2. शिक्षाधिकारी, जयपुरीहवागार।
- 3. निदेशक विद्यालय शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4. जयपुर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ, मयदून-दोहरादून।
- 5. जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुरीहवागार।
- 6. प्रधानाचार्य, महर्षि विद्या मन्दिर विद्यालय, जयपुरीहवागार।
- 7. सर्वे साइल।

*(Handwritten Signature)*

**PRINCIPAL  
 MAHARISHI VIDYA MANDIR  
 Rudranpur, U.S. Nagar**

(पी०एल०साह)  
 उप सचिव।

*(Handwritten Signature)*  
 जयपुरीहवागार  
 महदीय